Gram : UNIVERSITY
FAX: 0512-2570006
Web: www.kanpuruniversity.org

OFF.
V.C. : 2581280
REGI.: 2580044

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

KALYANPUR, KANPUR-208024
कल्याणपुर, कानपुर–208024

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सा.प्रशा./4363/2021 **दिनांक : 30/01/2021**

सेवा में,

समस्त निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी,
सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय परिसर,
कानपुर।

विषय :– उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजना के दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के संलग्न कार्यालय ज्ञाप संख्या–282/सत्तर–4–2021 दिनांक 28 जनवरी, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजना के दिशा–निर्देश शासनादेश संख्या–1114/सत्तर–4–2011–46(27)/2010 दिनांक 19.01.2011 द्वारा निर्गत किये गये है। सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 19.01.2011 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों में निम्नलिखित संशोधन किया गया है।

वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
बिन्दु–02 आवेदन की प्रक्रिया (4) एक विश्वविद्यालय द्वारा अधिकतम 02 विभागों के प्रस्ताव योजनान्तर्गत भेजे जा सकते है। यदि इसके अधिक प्रस्ताव प्राप्त होते है तो कुलपति द्वारा प्राथमिकता तय करके भेजे जायेंगे, ताकि उन्ही प्रस्तावों पर विचार किया जा सके।	**बिन्दु–02 आवेदन की प्रक्रिया** (4) एक विश्वविद्यालय द्वारा अधिकतम 20 विभागों के प्रस्ताव योजनान्तर्गत भेजे जा सकते है, परन्तु शर्त यह है कि उस विश्वविद्यालय के विभाग को पूर्व में जो भी धनराशि अवमुक्त की गयी थी, वह न्यूनतम 70 प्रतिशत उपभोग कर ली गयी हो।
बिन्दु–4 आवेदन की प्रक्रिया (2) प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ पैनल बनाया जायेगा जिसमें विभिन्न विषयों/क्षेत्रों की ख्याति प्राप्त सेवानिवृत्त शिक्षकों/ शिक्षाविद/तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। इस विशेषज्ञ पैनल के साथ संयोजक का कार्य अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद द्वारा किया जाएगा और उन्ही के स्तर से बैठक बुलाने आदि की कार्यवाही की जाएगी, तथा इस सम्बन्ध में नियमानुसार होने वाले व्यय आदि का भुगतान उच्च शिक्षा परिषद द्वारा अपने बजट के माध्यम से किया जाएगा।	**बिन्दु–4 आवेदन की प्रक्रिया** (2) प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ पैनल बनाया जायेगा जिसमें विभिन्न विषयों/क्षेत्रों की ख्याति प्राप्त सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षाविद/तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि तथा शासन स्तर पर सम्बन्धित अनुभाग के विशेष सचिव सम्मिलित होंगे। इस विशेषज्ञ पैनल के साथ संयोजक का कार्य अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद द्वारा किया जाएगा और उन्ही के स्तर से बैठक बुलाने आदि की कार्यवाही की जाएगी, तथा इस सम्बन्ध में नियमानुसार होने वाले व्यय आदि का भुगतान उच्च शिक्षा परिषद द्वारा अपने बजट के माध्यम से किया जाएगा।

उक्त शासनादेश दिनांक 19.01.2011 द्वारा सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजना के दिशा–निर्देशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

अतः शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप के निर्देशानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

डॉ० (अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. डीन, एकेडमिक्स, सी.एस.जे.एम.वि.वि, कानपुर।
2. कुलानुशासक, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, सी.एस.जे.एम.वि.वि, कानपुर।
3. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. निजी सचिव कुलपति, माननीया कुलपति जी के अवलोकनार्थ ।
5. वैयक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक।

कुलसचिव